संख्याः 66 /XXVI–दो(2)/2007 टी0सी0-6

प्रेषक,

पी0एस0जंगपांगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग। देहरादून, दिनांकः 26 मार्च, 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 में गत वर्ष कय किये गये वाहन की अवशेष धनराशि की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 485–ए/3–वे0/वाहनकय/2007–08 दिनांक 20 मार्च, 2008 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–27/XXVI/दो/2007 दिनांक 01.3.2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वर्ष 2006–07 में अर्थ एवं संख्या विभाग हेतु स्वीकृत वाहन के लिये महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त मांग रू0 22,042/–के आधार पर संलग्न बी0एम0–15 अनुसार रू0 19,118/–जिसका समांकन रू0 19,000/– आता है को बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यमय से व्यावर्तित करते हुए कुल रू0 22,042/–(रूपये बाइस हजार बयालीस मात्र) की धनराशि कम्पनी को भुगतान हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनेत्तर–001–निदेशालय तथा प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान–14 कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का कय के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 1593/XXVII-5/08 दिनांक 25.03.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव।

संख्याः 66 /XXVI–दो(2)/2007 टी0सी0–6 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– वरिष्ठकोषाधिकारी,देहरादून।

3– वित्त अनुभाग–5,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– विभागीय पत्रावली।

5– समन्वयक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)

अपर सचिव।

आय–व्यय प्रपत्र–15

पुनर्विनियोग 2007–08 विवरण पत्र

अनुदान संख्या–07

(धनराशि हजार रूपये में)

प्रशासनिक विभाग–नियोजन विभाग　　नियंत्रक अधिकारी–सचिव, नियोजन　　आयोजनेत्तर

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें स्थानान्तरित किया (धनराशि) जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि (हजार रू0)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या –07 लेखाशीर्षक– 3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02– सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी आयोजनेत्तर 001–निर्देशन तथा प्रशासन 03– अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान				अनुदान संख्या–07 लेखाशीर्षक– 3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02– सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी आयोजनेत्तर 001–निर्देशन तथा प्रशासन 03– अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान			
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान – 1763	1525	97	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान – 141 (X)	14– कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कार कय/मोटर गाड़ियों का कय – 19(XX)	469	1744	(X) स्तम्भ–4 में प्रदर्शित सरप्लस धनराशि अप्रयुक्त होने के कारण हुई है। (XX) विगत वर्ष 2006–07 में स्वीकृत वाहन में केन्द्रीय बिकी कर बढ़ जाने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अतिरिक्त आवश्यकता है।
योगरू0– 1763	1525	97	141	19	469	1744	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग के बजट मैनुअल के परिच्छेद–150,151,155 एवं 156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्याः 1593 (1)/वि0अनु0–5/2008
देहरादूनः दिनांक 25 मार्च, 2008

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

ह0

(एम0 सी0 जोशी)
अपर सचिव।

सेवा में, महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।

संख्याः 66 /XXVI–2/2008 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–5,उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव।